परिपत्र सं०- 1314 / 07 दि० 03-01-2014

पत्र सं0-वाद-पुनरीक्षण-2013-14/ 1794 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(वाद-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक : 03 जनवरी, 2014

1-समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
2-एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, (उच्च न्यायालय कार्य)
वाणिज्य कर, इलाहाबाद।
3-एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (उच्च न्यायालय कार्य)
वाणिज्य कर, लखनऊ ।
4-समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषय : उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा 58-क के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर करने हेतु मौद्रिक सीमा के संबंध में।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम , 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) द्वारा उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 में एक नई धारा 58-क प्रख्यापित करते हुए यह प्राविधान किए गए हैं कि कमिश्नर वाणिज्य कर , राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन वाणिज्य कर प्राधिकारियों द्वारा धारा 57 के अधीन अपील या धारा 58 के अधीन पुनरीक्षण दायर करने को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ मौद्रिक सीमा नियत करने के संबंध में आदेश , अनुदेश या निर्देश इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को निर्गत कर सकते हैं।

उक्त संबंध में शासनादेश सं0 1647/ 11-2-13-9(208) / 2013 दिनांक 02 जनवरी , 2014 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर करने को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ विवादित कर / अर्थदण्ड की राशि की न्यूनतम मौद्रिक सीमा निम्न शर्तों के अधीन रू0 1,00,000/- अवधारित की जाती है -

(1) जहाँ किसी वाणिज्य कर प्राधिकारी ने धारा 58-क की उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेशों , अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारिती के मामले में किसी बिन्दु पर धारा -58 के अधीन पुनरीक्षण दायर नहीं किया है , वहाँ ऐसे प्राधिकारी को उक्त बिन्दु पर धारा-58 के अधीन पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित के मामले में बाधित नहीं करेगा -

(क) किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु उसी निर्धारिती के मामले में , या

(ख) उसी अथवा अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु किसी अन्य निर्धारिती के मामले में।

(2) इस तथ्य के होते हुए भी कि किसी वाणिज्य कर प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेशों या अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में धारा-58 के अधीन पुनरीक्षण दायर नहीं किया गया है , किसी निर्धारिती , जो ऐसी धारा -58 के अधीन पुनरीक्षण की पार्टी है , के लिए विधि सम्मत नहीं होगा कि वह यह प्रतिवाद कर सके कि वाणिज्य कर प्राधिकारी ने धारा-58 के अधीन पुनरीक्षण दायर न करने के कारण निर्णय में विवादित बिन्दु को स्वीकार कर लिया है।

mu

(3) उपरोक्तानुसार अवधारित कर की मौद्रिक राशि में ब्याज की राशि को नहीं जोड़ा जाएगा। यदि ब्याज की देयता विवादित है , तभी वह विवादित कर की राशि में समाहित समझी जाएगी। अर्थदण्ड के प्रकरणों में विवादित अर्थदण्ड की राशि ही उक्तानुसार उल्लिखित मौद्रिक सीमा का अंग होगी।

(4) कर निर्धारण अधिकारी संबंधित व्यापारी के प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए पृथक-पृथक विवादित कर / अर्थदण्ड की राशि का आंकलन करेंगे तथा जिस कर निर्धारण वर्ष / वर्षों में विवादित कर / अर्थदण्ड की राशि उक्त मौद्रिक सीमा से अधिक होगी केवल उन्हीं के संबंध में पुनरीक्षण की कार्यवाही की जाएगी।

(5) जिन प्रकरणों में मौद्रिक सीमा से विवादित कर / अर्थदण्ड की राशि कम होगी उनमें युक्ति-युक्त कारणों के होते हुए अपील न किए जाने की दशा में संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा यह टिप्पणीं की जाएगी कि " **यद्यपि संगत प्रकरण में प्रश्नगत निर्णय स्वीकार्य नहीं है , तथापि पुनरीक्षण केवल इस कारण दायर नहीं किया जा रहा है क्योंकि विवादित कर / अर्थदण्ड की राशि इस हेतु निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम है।**"

(6) निम्न प्रकरणों में भले ही विवादित कर / अर्थदण्ड की राशि मौद्रिक सीमा से कम हो तब भी पुनरीक्षण की कार्यवाही विधिक आधारों पर की जाएगी -

(क) जिन प्रकरणों में अधिनियम या नियमावली के किसी प्राविधान की वैधता को चुनौती दी गयी हो ; या

(ख) जिन प्रकरणों में शासन की किसी विज्ञप्ति , शासनादेश या मुख्यालय के परिपत्र को चुनौती दी गयी हो।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2-1-2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश